न्यायाधीश गुरुदेव सिंह के समक्ष

एम. एस. गोयल गैस एजेंसी-याचिकाकर्ता

बनाम

एम.एस सत प्रकाश और बेटे और अन्य - उत्तरदाता

Crl.R.No 1722 सन् 2007

18 अप्रैल, 2011

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-सं. 138 और 141-उस चिंता के दायित्व के निर्वहन के लिए चेक जारी करने वाली गैस एजेंसी के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-चेक का अनादर-क्या चेक जारी करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए-आयोजित, हाँ-आरोपी कथित रूप से उसके और शिकायतकर्ता के बीच दर्ज मूल समझौते को साबित करने में विफल रहा-N.I की धारा 138 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के तहत अदालतों के निष्कर्षों में कोई अवैधता नहीं। एक्ट करें।

अभिनिर्णित कि पहली बार, समझौता Ex.D 10 की प्रति उक्त नोटरी पब्लिक के बयान के दौरान रिकॉर्ड पर रखा गया था और उस समय उक्त दस्तावेज़ का प्रदर्शन करने पर विधिवत आपत्ति जताई गई थी। उस आपत्ति का उस समय न तो निचली अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था और न ही फैसले की अंतिम घोषणा के समय। ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता है कि एक बार दस्तावेज़ प्रदर्शित हो जाने के बाद, इसकी स्वीकार्यता में नहीं जाया जा सकता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि केवल एक दस्तावेज़ की प्रदर्शनी उसके प्रमाण के साथ वितरित नहीं करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुभाष चंद ने पक्षों द्वारा मूल समझौते के निष्पादन के बारे में अपना बयान दिया है, लेकिन मूल रिकॉर्ड पर कभी साबित नहीं हुआ। समझौते में ही, यह उल्लेख किया गया है कि मूल सत प्रकाश को दिया गया था, जो शिकायतकर्ता फर्म के भागीदारों में से एक है और इसकी एक सत्यापित प्रति आरोपी को दी गई थी। यदि ऐसा है, तो भी अभियुक्त को मूल समझौता न्यायालय में प्रस्तुत कराना आवश्यक था और सत प्रकाश द्वारा उसे प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी आवश्यक थी। न्यायालय की अनुमति के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से समझौते को साबित करने के लिए कि सत्यापित प्रति पर विचार नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के अनुसार, यदि किसी समझौते या समझौते की सामग्री को लिखित रूप में घटाया जाता है, तो दस्तावेज़ को छोड़कर निष्पादन, शर्तों और सामग्री को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की कोई राशि स्वीकार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि निम्न न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष न तो अवैध हैं, न ही विकृत हैं और न ही उन्हें साक्ष्य के गलत अध्ययन का परिणाम कहा जा सकता है। उन न्यायालयों द्वारा अभिलिखित अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

(Para 11)

सी बी गोयल, अधिवक्ता के साथ ए एस विर्क और नितिन जैन, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए:
एल एम सूरी प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता विनीत सिंह पाबला के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

आदेश

न्यायाधीश गुरुदेव सिंह

(1) याचिकाकर्ता/आरोपी, मेसर्स गोयल गैस एजेंसी ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी R.D. के माध्यम से वर्तमान संशोधन दायर किया है। गोयल, 13 सितंबर के फैसले के खिलाफ। 2007,-जिसे 4 मई, 2006 के फैसले के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपील सीजेएम, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित की गई थी, जिसमें उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 1881 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरने और रु। 5.000 और इसके डिफ़ॉल्ट में, तीन महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना और रु। सीआरपीसी की धारा 357 के तहत 6 लाख रुपये। पी. सी., को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने और मुआवजे के लिए किए गए संशोधन को भी खारिज कर दिया गया था।

(2) तथ्य, संक्षेप में, यह है कि शिकायतकर्ता-मेसर्स सत प्रकाश और बेटों, एक साझेदारी फर्म, ने अपने पंजीकृत भागीदार अजय कुमार के माध्यम से अधिनियम की धारा 138 के तहत मेसर्स गोयल गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो कि एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था है, इसके पावर ऑफ अटॉर्नी R.D. के माध्यम से। गोयल और उसके मालिक दशोदा देवी ने इसमें तर्क दिया कि आरोपी ने उससे अलग-अलग तारीखों पर नकद और चेक के माध्यम से रुपये की सीमा तक अलग-अलग राशि प्राप्त की। 7,18,540. अपनी देनदारी के निर्वहन में, आरोपी ने रुपये के लिए दो चेक जारी किए। 50, 000 और रु। 1 लाख जिसका नंबर है। 105679 और 105681 दिनांक 29 जून, 1995 और 1 जुलाई, 1995, क्रमशः। अभियुक्त से कई बार अपने पूरे दायित्व का निर्वहन करने का अनुरोध किया गया और उसने एक और चेक नं. 173368 दिनांक 30 जून, 1995 को रु। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुरुक्षेत्र पर 4 लाख रुपये निकाले गए, जो आरोपी के बैंकर को प्रस्तुत करने पर उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण अपमानित किया गया था-13 जुलाई, 1995 के ज्ञापन के माध्यम से। अभियुक्त को 27 जुलाई, 1995 का कानूनी नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से और डाक प्रमाण पत्र के तहत दिया गया था और उसी का उत्तर उसके द्वारा दिया गया था-12 अगस्त, 1995 के जवाब के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था। नोटिस जारी होने के बावजूद चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत के समर्थन में, प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर, CJM ने R.D. के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पाया। गोयल, जिन्हें तदनुसार तलब किया गया था-दिनांक 17 फरवरी, 1997 के आदेश के अनुसार। अदालत में उनकी उपस्थिति पर, उन्हें अपराध का नोटिस दिया गया था, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। अपना अपराध साबित करने के लिए शिकायतकर्ता ने खुद को पीडब्लू-1 और मनहर शुकुल, लेखाकार के रूप में जांच की (PW-2). शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य को बंद करने के बाद, निचली अदालत द्वारा आरोपी से पूछताछ की गई और उसका बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। P.C. शिकायतकर्ता के साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को उसके सामने रखा गया था ताकि वह उसे समझा सके। उन्होंने उन सभी परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि खाते के संबंध में उनकी एक चेक बुक नं। 16082, जिसमें चेक नं. 173351 से 173375 खो गया था जिसके बारे में उसने 30 मई, 1995 को पुलिस को आवेदन दिया था और साथ ही उसने बैंक को उन चेकों के भुगतान को रोकने के लिए लिखा था। इसके बावजूद, चेक की राशि सं। 173367 और

173369 का भुगतान बैंक द्वारा एक-दूसरे के साथ मिलकर किया गया था और ये दोनों चेक दिनांक 1 जून, 1995 के हैं। इन परिस्थितियों में चेक नं. 173368 दिनांक 30 जून, 1995. शिकायतकर्ता के साथ धन के लेन-देन के संबंध में एक विवाद था जिसमें 26 जून, 1995 को एक समझौता किया गया था। D. 10) और। उस समझौते में चेक बुक के नुकसान के तथ्य का उल्लेख किया गया था। उस समझौते के दायरे में, शिकायतकर्ता द्वारा यह किया गया था कि वह उक्त चेक का दुरुपयोग नहीं करेगा और फिर भी उसने ऐसा ही किया था। आरोपी को उसके बचाव में बुलाया गया और उसने धरम पाल (डीडब्ल्यू-1) मनहर शुक्ल (डीडब्ल्यू-2), बलबीर सिंह (डीडब्ल्यू-3), दीना नाथ अरोड़ा (डीडब्ल्यू-4), प्रभु राम (डीडब्ल्यू-5), सुभाष चंद (डीडब्ल्यू-6), सुशील कुमार (डीडब्ल्यू-7), रघबीर चंद (डीडब्ल्यू-8), आतम प्रकाश (डीडब्ल्यू-9) और उपेंद्र नाथ से पूछताछ की। (DW-10).

(3) मैंने दोनों पक्षों के विद्वानों की सलाह सुनी है।

(4) यह याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन चेक कथित रूप से मेसर्स गोयल गैस एजेंसी द्वारा जारी किया गया था, जो कि दशोदा देवी के स्वामित्व वाली एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी थी। यहां तक कि उस चिंता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता/अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वास्तव में, विवादग्रस्त चेक वाली चेक बुक खो गई थी, जिसके बारे में आरोपी ने पुलिस में शिकायत की थी और बैंक को उसके भुगतान को रोकने के लिए एक पत्र भी लिखा था। पक्षों के बीच विवाद के कारण, 26 जून, 1995 को एक समझौता किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने चेक के दुरुपयोग को स्वीकार किया था। इन सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर प्रमुख ठोस साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित किया गया था, जिसमें गवाहों के बयान शामिल थे, जिन्होंने समझौते को प्रमाणित किया और नोटरी जनता जिनसे उस समझौते की प्रति (उदा। D. 10) सत्यापित किया गया था। उस समझौते से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन चेक शिकायतकर्ता द्वारा गढ़ा गया था और इसलिए, उसके आधार पर अभियुक्त को कोई दायित्व नहीं दिया जा सकता है।

(5) शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता/अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की इन सभी प्रस्तुतियों को यह तर्क देते हुए पलटने का प्रयास किया कि यह स्वयं अभियुक्त का मामला है कि वह एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था का सामान्य वकील है और उस एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रश्नगत चेक पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। चेक पर हस्ताक्षर करने वाले होने के कारण उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती थी। वह यह तर्क देकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है कि वह उस एकमात्र साझेदारी चिंता का एकमात्र पावर ऑफ अटॉर्नी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मूल समझौता कभी भी न्यायालय और सत्यापित प्रति एक्स में साबित नहीं हुआ था। घ. 10 पर आपत्ति की गई थी जब उसी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था। अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि यह द्वितीयक साक्ष्य है और अदालत की अनुमति के अभाव में, इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से यह बहुत स्पष्ट है कि यह समझौता एक मनगढ़ंत दस्तावेज है क्योंकि अभियुक्त द्वारा उसे दिए गए नोटिस के जवाब में इसका उल्लेख नहीं मिलता है।

(6) तय किया जाने वाला पहला सवाल यह है कि क्या R.D. याचिकाकर्ता/अभियुक्त गोयल को इस आधार पर दोषी ठहराया जा सकता था कि उन्होंने मेसर्स गोयल गैस एजेंसी के सामान्य वकील के रूप में चेक जारी किया था। अधिनियम की

धारा 141 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। उसमें संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का अर्थ है एक निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है। इस खंड का एकमात्र स्वामित्व से कोई लेना-देना नहीं है। अभियुक्त स्वयं रिकॉर्ड पर पावर ऑफ अटॉर्नी साबित करता है (पूर्व। डी. 11) मेसर्स गोयल गैस एजेंसी के कथित एकमात्र मालिक, दशोदा देवी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया गया। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दशोदा देवी ने मैसर्स गोयल गैस एजेंसी के सभी मामलों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के संबंध में याचिकाकर्ता/अभियुक्त को अपने वैध सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में गठित किया। हालांकि कहा गया है कि चेक उक्त संस्था द्वारा जारी किया गया था, लेकिन यह याचिकाकर्ता/आरोपी के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था। उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, वह एकमात्र मालिक के स्थान पर आता है और अपने हस्ताक्षर के तहत चेक जारी करके खुद को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। वास्तव में, अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में प्रमुख साक्ष्य द्वारा लिए गए रुख को देखते हुए, यह उसके मुंह में नहीं है कि उसे उसके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। कथित समझौता उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किया था जिसमें उन्होंने विवाद में भी चेक का उल्लेख किया था। समन आदेश केवल उनके खिलाफ पारित किया गया था जिसे उन्होंने कभी भी किसी संशोधन आदि के माध्यम से चुनौती नहीं दी थी। मुकदमे के दौरान किसी भी स्तर पर उन्होंने यह दलील नहीं दी कि उन्हें इस आधार पर चेक जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है कि यह उनके द्वारा एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था की ओर से जारी किया गया था। वास्तव में, वह खुद को इस कंपनी का मालिक होने का दावा करता रहा है। उन्होंने पुलिस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक को लिखे गए पत्रों की प्रतियों को रिकॉर्ड में साबित किया। उन पत्रों में उन्होंने लिखा था कि वह उक्त गैस एजेंसी के मालिक हैं। इसलिए, निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने अधिनियम की धारा 138 के तहत उसे दोषी ठहराते समय कोई अवैधता नहीं की।

(7) यद्यपि अभियुक्त ने यह साबित करने के लिए कई गवाहों से पूछताछ की कि कथित रूप से उसके और शिकायतकर्ता के बीच समझौता किया गया था, लेकिन इसका निष्पादन वास्तव में सुभाष चंद (डीडब्ल्यू-6) द्वारा साबित किया गया था। जिसने एक प्रमाणक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे। मूल समझौता रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ था और यह केवल दीना नाथ अरोड़ा द्वारा सत्यापित फोटोस्टेट प्रति थी। नोटरी पब्लिक, जो साबित हुआ। अभियुक्त के विद्वान वकील ने दयामथी बाई बनाम K.M में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने की कोशिश की है। शफी ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि आपत्तियां, यदि कोई हों, तो प्रमाण के तरीके के बारे में कही जा सकती हैं न कि दस्तावेज़ की ग्राह्यता के बारे में और एक बार दस्तावेज़ को अदालत द्वारा प्रदर्शित और स्वीकार किए जाने के बाद, शिकायतकर्ता आपत्ति नहीं ले सकता है कि उस पर गौर नहीं किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रमाण के तरीके के बारे में आपत्ति प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत आती है। इसलिए इस तरह की आपत्ति को माफ किया जा सकता है।

(8) उपर्युक्त मामले में (दयामथी बाई का मामला) यह दस्तावेज की प्रमाणित प्रति थी जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यह पाया गया कि प्रमाणित प्रति स्वयं अस्वीकार्य थी। यह सबूत का तरीका था जो अनियमित और अपर्याप्त था। दस्तावेज़ को दूसरे पक्ष की ओर से बिना किसी आपत्ति के प्रदर्शित किया गया था।

(9) वर्तमान मामले में स्थिति अलग है। पहली बार, समझौते की प्रति पूर्व। D.10 को उक्त नोटरी पब्लिक के बयान के दौरान रिकॉर्ड पर रखा गया था और उस समय उक्त दस्तावेज़ के प्रदर्शन पर विधिवत आपत्ति जताई गई थी। उस आपत्ति का उस समय न तो निचली अदालत द्वारा निर्णय लिया गया था और न ही फैसले की अंतिम घोषणा के समय। ऐसी स्थिति में,

यह नहीं माना जा सकता है कि एक बार दस्तावेज़ प्रदर्शित हो जाने के बाद, इसकी स्वीकार्यता में नहीं जाया जा सकता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि केवल एक दस्तावेज़ की प्रदर्शनी उसके प्रमाण के साथ वितरित नहीं करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुभाष चंद ने पक्षों द्वारा मूल समझौते के निष्पादन के बारे में अपना बयान दिया है, लेकिन, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मूल रिकॉर्ड पर कभी साबित नहीं हुआ था। समझौते में ही यह उल्लेख किया गया है कि मूल को सत प्रकाश को दिया गया था, जो शिकायतकर्ता फर्म के भागीदारों में से एक है और इसकी एक सत्यापित प्रति दी गई थी, यदि ऐसा है, तो अभियुक्त को मूल समझौता अदालत में पेश करने की आवश्यकता थी और सत प्रकाश द्वारा इसे पेश करने में विफलता के मामले में, माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। न्यायालय की अनुमति के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से समझौते को साबित करने के लिए कि सत्यापित प्रति पर विचार नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के अनुसार, यदि किसी समझौते या समझौते की सामग्री को लिखित रूप में घटाया जाता है, तो दस्तावेज़ को छोड़कर निष्पादन, शर्तों और सामग्री को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य की कोई राशि स्वीकार्य नहीं है। एक बार जब उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो अभियुक्त के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरण अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।

(10) इसके अलावा, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के एक मिनट के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समझौता एक मनगढ़ंत दस्तावेज प्रतीत होता है; यहां तक कि अभियुक्त द्वारा सामने रखी गई कहानी में भी कहा गया है कि चेक बुक में चेक नं. 173351 से 173375 तक खो जाना किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। वह उसी के बारे में दो अलग-अलग कहानियों के साथ सामने आए। पुलिस पूर्व को दिए गए अपने आवेदन में। डी. 11, उन्होंने कहा कि उक्त चेक बुक उनके कब्जे से खो गई थी। बैंक को दिए गए अपने आवेदन, मार्क डी में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चेक बुक खो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि वे दोनों पत्र एक ही दिन यानी i.e के हैं। 30 मई, 1995। इन पत्रों का समझौता एक्स में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। D. 10 जो 26 जून, 1995 को अस्तित्व में आया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायत दर्ज करने से पहले, नोटिस एक्स। अभियुक्त को सी5 दिया गया था, जिसका जवाब उसने अपने वकील के माध्यम से दिया था। उस जवाब को पूर्व के रूप में रिकॉर्ड पर साबित किया गया था। पीके, जो दिनांक 12 अगस्त, 1995 का है। उस जवाब में भी इस समझौते का उल्लेख नहीं मिलता है। यदि उस दिन ऐसा कोई समझौता अस्तित्व में होता, तो जवाब में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह उसमें निर्दिष्ट किया जाने वाला एक भौतिक दस्तावेज था।

(11) विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के अभिलेख की विवेचनात्मक रूप से जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष न तो अवैध हैं, न ही विकृत हैं और न ही उन्हें साक्ष्य के गलत अध्ययन का परिणाम कहा जा सकता है। उन अदालतों द्वारा दर्ज अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है,

(12) पुनरीक्षण में कोई योग्यता नहीं है और उसे खारिज कर दिया जाता है।

(13) यह आदेश उचित कार्रवाई करने के लिए निचली अदालत को प्रमाणित किया जाए।

(14) विचारण न्यायालय के अभिलेखों को साथ में लौटा दिया जाए।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
गुरुग्राम , हरियाणा